

लालम  
अनु  
विलद  
1 जरी  
जारी  
जरी  
सं।  
सं।  
2018  
101  
पक्ष  
ली  
पक्ष  
1/301  
10पक्ष  
पक्ष  
जरी  
जरी  
अनु।  
दिनांक

R P L C का सुना गया न्याय -  
दिए हैं जो पक्ष खीला किया  
जाता है। पनावली वाले लेशोदे  
215 टिक एवं जसद ट.। नदिना  
4.4.18 को पक्ष हो

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपुतली (जयपुर)

4.4.2018 पनावली राज पेश हुई। वकील  
अप पक्ष उपस्थित। जरी सं  
11 व 12 को जेपू तमील होने  
के अवसर पर अन्तिम अनुपादन  
रहने पर उनके विलद एनपक्ष/प  
वर्षवाली को जरी है। वकील  
जरी सं-6 को जे. जसद  
ट.। पक्ष हुई एवं वकील पक्ष  
ने लेशोदेन 215 टिक पक्ष को  
जो शामिल पनावली किया गया।

वकील अप पक्ष को उपपक्ष  
पर सुना गया एन पनावली पर  
इफवसद कोर्ट का इवलोकन को  
पक्षकारों के मध्य दावा तकासा  
विचारधीन है। जिले प्रथमिक  
स्टडी जारी हो रही है इसलिये

उपखण्ड अधिकारी  
कोटपुतली (जयपुर)

क्र. 121  
2016

अधमलम वनाम सुलेदवी  
प्राप्य 212 R.T. अच

प्रस्तावित अर्थ के दिवस लक्ष्य  
रिकार्ड में पक्षाधिकार वनाम  
रक्षण उचित एवं न्यायसंगत है।

इति! इस न्यायलय के  
पूर्व इस्पात निषेधाज्ञा दिनांक  
1.8.2016 को कन्फर्म करते हुए  
अधम पक्षानुगत को जारी इस्पात  
निषेधाज्ञा तरफसली मूल वाद  
पा वन्द किया जाता है, कि दिनांक  
293/1.10, 294/1.17 को अमेजम  
एकतोरपुप तल्लील - कोयुतली  
के मांका लक्ष्य रिकार्ड में पक्षा-  
धिकार वनाम एवं पक्षाधिकार  
धुमक डीम दर्ज नम्बर है कम  
हो, रक्षा पारितिल दफतार है।

उपखण्ड अधिकारी  
कोयुतली (अमपुर)